पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2095

दिनांक-17.11.2026

लखनऊ पुलिस द्वारा दो व चार-पहिया वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान—व्यापक व प्रभावी कार्यवाही।

यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती – 4275 चालान | 89 वाहन सीज |

- **यातायात माह व अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत दिनांक 07.11.2026 से 16.11.2026 तक समय 15:00 से 20:00 बजे तक लखनऊ पुलिस ने दो व चार-पहिया वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया।**
- **अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले व अन्य यातायात नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई।**
- **कुल 4275 वाहनों का चालान किया गया और 89 वाहन सीज किए गए।**
- **कई वाहनों को वैध दस्तावेज न होने, बिना नंबर प्लेट होने अथवा अवैध परिवर्तन के चलते सीज किया गया।**
- **लखनऊ पुलिस की जनता से अपील: यातायात नियमों का पालन करें।**

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त,लखनऊ के दिशा-निर्देशन तथा **श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ,लखनऊ** के पर्यवेक्षण में, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा यातायात माह व अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत **दिनांक 07.11.2026 से 16.11.2026** तक सभी प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ क्रिटिकल कॉरिडोर व चौकी प्रभारी/बीट इंचार्ज अपने क्षेत्र में बैरियर लगाकर पुलिस बल के साथ दो और चार पहिया वाहनों के विरुद्ध एक विशेष सघन चेकिंग अभियान संचालित किया गया। **यह अभियान नागरिकों की सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।**

इस अभियान के अंतर्गत शहर के सभी पाँच जोनों—**पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, पूर्वी एवं दक्षिणी**— में पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में, संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त एवं थाना प्रभारी की टीमों द्वारा कार्यवाही की गई।

इस दौरान शाम 15:00 से 20:00 बजे तक प्रमुख बाजारों, चौराहों, बस स्टैंडों एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस दौरान **बिना नंबर प्लेट ,बिना हेलमेट, तेज गति, ट्रिपल राइडिंग,अमान्य दस्तावेज, तेज रफ्तार, विपरीत दिशा में वाहन चलाने वाले तथा यातायात नियमों के अन्य उल्लंघनों पर कड़ी कार्यवाही की गई।** साथ ही, चालान जारी करने के साथ-साथ नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक भी किया गया।

जोनवार कार्यवाही का विवरण

जोन	चेक किए गये वाहन	कुल चालान	कुल सीज
पश्चिमी	8604	2024	56
मध्य	5322	673	14
उत्तरी	6035	497	02
पूर्वी	4422	665	06
दक्षिणी	4264	416	11
योग	28647	4275	89

प्रमुख स्थान: **कैसरबाग, हुसैनगंज, नखास, अटल चौक, तेलीबाग चौराहा, 1090 चौराहा, आईटी चौराहा, निशातगंज क्रासिंग, अवध चौराहा और अन्य व्यस्त चौराहे। सभी जोनों में सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीमें तैनात रहीं।**

जनता से अपील:- लखनऊ पुलिस जनता से आग्रह करती है कि **ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है, मजबूरी नहीं,** व स्वयं की तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बातों का पालन अवश्य करें:-

1. **बिना नंबर प्लेट के वाहन न चलायें**
2. **शराब पीकर वाहन न चलायें।**
3. **वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें।**
4. **वाहनों में ब्लैक फिल्म व हूटर का प्रयोग न करें।**
5. **वाहनों की मूल डिजाइन में कोई अवैध बदलाव (जैसे- साइलेंसर मोडिफिकेशन) न करें।**
6. **यातायात के सभी नियमों जैसे गति सीमा, सही दिशा में यात्रा आदि का पालन करें।**
7. **वाहन पर उच्च-सुरक्षा वाले पंजीकरण प्लेट (HSRP) का प्रयोग करें।**

" यातायात नियमों का पालन कराने की यह पहल एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है, जिसका लक्ष्य दुर्घटनाओं को कम करना और जीवन की रक्षा करना है। भविष्य में भी, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ पुलिस द्वारा इस प्रकार के अभियान और अधिक सख्ती के साथ चलाए जाएंगे।"

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2094

दिनांक-17.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

01-कार्यवाही विवरण:-

पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं **संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार** के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक** के कुशल निर्देशन, **अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार** के पर्यवेक्षण तथा **सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री इन्द्रजीत सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 17.11.2026 को थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत गैर-जमानतीय वारंट के अनुपालन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही एवं तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा निर्गत **वाद संख्या 75120/26,मु0अ0सं0 178/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0** थाना मोहनलालगंज, लखनऊ से संबन्धित गैर जमानतीय वारंट में वांछित अभियुक्त सूरज पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम उदवतखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- **सूरज** पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम उदवतखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 22 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास:-

- **मु0अ0सं0 178/25 धारा** 191(2)/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 थाना मोहनलालगंज, लखनऊ
- **मु0अ0सं0 53/22 धारा** 379/411 भादवि व धारा 139/140 भा0वि0अधि0 थाना मोहनलालगंज, लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2097

दिनांक-17.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना- जानकीपुरम , लखनऊ

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के प्रकरण में थाना जानकीपुरम पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त गिरफ्तार।

01. संक्षिप्त विवरण

दिनांक **15.11.2026** को वादी सहारा स्टेट, थाना जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा थाना जानकीपुरम पर लिखित शिकायत दी गई कि **उनकी पौत्री द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। को लगातार परेशान किया जा रहा था**, जिससे क्षुब्ध होकर उनकी पौत्री द्वारा आत्महत्या कर ली गई।

प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना जानकीपुरम पर **मु0अ0सं0 223/2026, धारा 108 बीएनएस** के अंतर्गत अभियुक्त **अनिकेत मिश्रा** के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक श्री राघवेन्द्र पाण्डेय को सुपुर्द की गई।

02. पुलिस कार्यवाही एवं गिरफ्तारी का विवरण

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अनिकेत मिश्रा उर्फ नीरज को दिनांक 16.11.2026 को समय 21:35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

03. अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त अनिकेत मिश्रा उर्फ नीरज एवं मृतका के मध्य प्रेम प्रसंग था। करीब 02 माह पूर्व दोनों के मध्य ब्रेकअप हो गया था तथा अभियुक्त मृतका के साथ आगे संबंध नहीं रखना चाहता था। इसी बात से आहत एवं क्षुब्ध होकर मृतका द्वारा आत्महत्या कर ली गई।

04. पंजीकृत अभियोग का विवरण

01-मु0अ0सं0 223/2026 धारा 108 बीएनएस थाना जानकीपुरम, लखनऊ।

05. गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता एवं व्यवसाय

01-अनिकेत मिश्रा उर्फ नीरज पुत्र गौरव मिश्रा, निवासी रस्तौगीनगर, मकान संख्या 441 आरएन 02/577, बालागंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ, उम्र करीब 20 वर्ष। **व्यवसाय- छात्र।**

07. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 **राघवेन्द्र पाण्डेय**
2. उ0नि0 **श्री चन्द्रभान गिरि**
3. का0 **दीपक कुमार**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2096
दिनांक-17.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना- इटौंजा, लखनऊ

वादी के साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

01. संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस कार्यवाही:-

दिनांक **15.11.2026 को वादी रामचरन** पुत्र स्व0 शम्भू प्रसाद निवासी ग्राम सोनवा, जनपद लखनऊ द्वारा थाना इटौंजा पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि अर्जुनपुर से बाबापुरवा जाने वाले मार्ग पर रोहित रावत उर्फ महाकाल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की, गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा उन्हें मरणासन्न अवस्था में छोड़कर मौके से चले गए।

उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना इटौंजा पर **मु0अ0सं0 165/2026 धारा 110/191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक **17.11.2026** को थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर अर्जुनपुर के पास से घटना में संलिप्त **05 अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार** किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02. गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. **रोहित रावत उर्फ महाकाल** पुत्र लवकुश निवासी अर्जुनपुर, थाना इटौंजा, लखनऊ, उम्र करीब 28 वर्ष।
2. **मन्ना यादव** पुत्र जयकिशन निवासी महमूदनगर ढाल, थाना मलिहाबाद, लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष।
3. **निर्मल पासी** पुत्र अजय पासी निवासी बरगदीखुर्द, थाना इटौंजा, लखनऊ, उम्र करीब 25 वर्ष।
4. **सुनील** पुत्र राजू निवासी चकपृथ्वीपुर, थाना इटौंजा, लखनऊ, उम्र करीब 27 वर्ष।
5. **सुजीत** पुत्र अमरपाल निवासी चकपृथ्वीपुर, थाना इटौंजा, लखनऊ, उम्र करीब 24 वर्ष।

03. पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- **मु0अ0सं0:** 165/2026 **धारा:** 110/191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस। **थाना:** इटौंजा, कमिश्नरेट लखनऊ।

04. पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी गई तथा अपने बयान अंकित कराए गए।

05. अग्रिम विधिक कार्यवाही:-

प्रकरण में गिरफ्तार सभी **05 अभियुक्तों** के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

06. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. **उ0नि0 नरेन्द्र कुमार भारती**, थाना इटौंजा, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. **उ0नि0 रामविलास**, थाना इटौंजा, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. **का0 विवेक कुमार**, थाना इटौंजा, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. **का0 गौरव सिंह**, थाना इटौंजा, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. **का0 सुबास**, थाना इटौंजा, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2092
दिनांक-17.11.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक

थाना चौक पुलिस द्वारा गैर जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

01. संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस कार्यवाही:--

श्री **तरुण गाबा, पुलिस आयुक्त लखनऊ** महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही तथा **वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी** हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमती **अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय**, श्री **जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपायुक्त पश्चिमी** एवं श्री **धनंजय सिंह कुशवाहा, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी** के निर्देशन में तथा श्री **शुभम कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त चौक** के कुशल मार्गदर्शन में श्री **नागेश उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक थाना चौक** के नेतृत्व में थाना चौक पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक **17.11.2026 को समय करीब 13:10 बजे** थाना चौक पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत **गैर जमानती वारंट (NBW)** के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त **सलमान हुसैन पुत्र मो0 शोएब उर्फ गुड्डू**, निवासी 297/128, जनाब वाली गली, शाहगंज, थाना चौक, लखनऊ, उम्र करीब **29 वर्ष** को उसके **अंकित पते से गिरफ्तार** किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर **माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।**

02. वारंट का विवरण:-

- **न्यायालय:** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-28, लखनऊ, **एनबीडब्ल्यू वाद संख्या:** 38235/20।
- **मु0अ0सं0:** 216/2020 **धारा:** 323/504/506 भा0द0वि0 **थाना:** चौक, कमिश्नरेट लखनऊ।

03. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. **सलमान हुसैन** पुत्र मो0 शोएब उर्फ गुड्डू, निवासी 297/128, जनाब वाली गली, शाहगंज, थाना चौक, लखनऊ, उम्र करीब **29 वर्ष**।

04. गिरफ्तारी का स्थान एवं समय:-

- **दिनांक:** 17.11.2026
- **समय:** करीब 13:10 बजे।
- **स्थान:** अभियुक्त का अंकित पता, जनाब वाली गली, शाहगंज, थाना चौक, लखनऊ।

05. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. **उ0नि0 श्री बृजपाल सिंह**, चौकी प्रभारी नक्खास, थाना चौक, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. **हे0का0 प्रदीप अवस्थी**, थाना चौक, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. **का0 1803 संदीप**, थाना चौक, कमिश्नरेट लखनऊ।

06. अग्रिम विधिक कार्यवाही:-

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त को **माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत** किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत **गैर जमानती वारंट के अनुपालन में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही** की जा रही है।